डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–12/2010 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. सीयाराम पुत्र घूरीलाल उर्फ रामस्वरूप जाति बघेला निवासी मौहल्ला पटपरा पुराना शहर धौलपुर।

1/1. मु0 कस्तूरी
1/2. गौरीशंकर
1/3. ओमप्रकाश
1/4. रविन्द्र कुमार
1/5. लोकेश कुमार
} पुत्रगण सीयाराम

1/6. सुनीता देवी पुत्री सीयाराम

} समस्त जाति बघेला निवासीगण मौ0 पटपरा पुराना शहर धौलपुर।

..............अपीलांट।

बनाम

1. भगवानदेई पत्नि श्री नारायन सिंह जाति बघेला निवासी कचहरी गली धौलपुर।
2. बीनू दिनकर पुत्री श्री गयाप्रसाद दिनकर जाति जाटव निवासी मनिया तहसील व जिला धौलपुर।
3. दंगल सिंह पुत्र श्री छिद्दू जाति बघेला निवासी ग्राम अल्हेपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
4. अंगद सिंह पुत्र छिद्दू जाति बघेला निवासी ग्राम अल्हेपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय,धौलपुर।

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 04.01.2010 प्रकरण संख्या 63/2009 उनवान सीयाराम बनाम भगवानदेई।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री किशनसिंह त्यागी अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री सरीफ खान अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2010 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........**26**...........माह.........**11**........सन्..........**2021**.........को जारी की गई।

दस्तखत..............................
औहदा..............................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 12/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरआरीएमएस संख्या :– 2010/00077

उनवान

1. सीयाराम पुत्र घूरीलाल उर्फ रामस्वरूप जाति वघेला निवासी मौहल्ला पटपरा पुराना शहर धौलपुर।

1/1. गु0 कस्तूरी
1/2. गौरीशंकर
1/3. ओमप्रकाश
1/4. रविन्द्र कुमार
1/5. लोकेश कुमार
1/6. सुनीता देवी पुत्री सीयाराम

पुत्रगण सीयाराम

समस्त जाति वघेला निवासीगण गौ0 पटपरा पुराना शहर धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. भगवानदेई पत्नि श्री नारायन सिंह जाति बघेला निवासी कचहरी गली धौलपुर।
2. बीनू दिनकर पुत्री श्री ग्याप्रसाद दिनकर जाति जाटव निवासी मनिया तहसील व जिला धौलपुर।
3. दंगल सिंह पुत्र श्री छिद्दू जाति बघेला निवासी ग्राम अल्हेपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
4. अंगद सिंह पुत्र छिद्दू जाति वघेला निवासी ग्राम अल्हेपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.2010 प्रकरण संख्या 63/2009 उनवान सीयाराम बनाम भगवानदेई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री सरीफ खान अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–26.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 04.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक दावा बंटवारा काश्त, स्थाई निषेधाज्ञा हस्च दफा 188, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 विवादित भूमि खसरा नम्बर 232 रकवा 03 बीघा 13 विस्वा स्थित ग्राग सांडा तहसील धौलपुर बाबत् प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी का अधिकांश भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 03 के चौडीकरण हेतु अवाप्त किया जा चुका है और वादी/अपीलाण्ट द्वारा अवार्ड की प्रति लगाई है उसमें भी विवादित आराजी का मुआवजा दिया हुआ बताया है। अवार्ड में विवादित भूमि की किस्म आबादी व वाणिज्यिक मानी है। अतः विवादित भूमि कृषि

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

कार्य हेतु नहीं होने के कारण, विवादित भूमि बाबत् वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार रेवेन्यू कोर्ट को नहीं है। अतः वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई स्वीकार करते हुये, वादी/अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो अभिभाषक रैस्पो0 एवं ना ही रैस्पो0 उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि हर दो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी जवाब दावा प्रस्तुत किये बिना तय किया जाना संभव नहीं है। विवादित कृषि भूमि में से समस्त कृषि भूमि अकृषि प्रयोग में नही आ रही है। इसलिये क्षेत्राधिकार तय करने के लिये विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न आधीन न्यायालय के समक्ष अन्तर निहित था इसलिये बिना जवाब दावा प्रस्तुत किये एवं बिना विवाधक स्थिर किये एवं बिना साक्ष्य अभिलिखित किये अपीलाधीन आदेश पारित करना विधि संगत नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलाण्ट का दावा सरसरी तौर पर निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर 2012(2)आरआरटी 1056, 2010(1) पेज 557, 616, 2011(4)आरएलडब्ल्यू पेज 3420 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायलय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन एवं न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2008 के अवलोकन से सिद्ध है कि अवार्ड दिनांक 09.07.2008 में खसरा नम्बर 232 का वाणिज्यिक एवं आवासीय व स्ट्रेक्चर कुँआ सहित 1,59,61,310 रूपये का अवार्ड पारित किया गया है एवं लूपलाईन बनाई जा रही है। जिसके लिये खसरा नम्बर 232 का अधिकांश भाग अवाप्त किया जा चुका है। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा के अनुसार उक्त खसरा नम्बर में ले–आउट प्लान बनाकर भूखण्ड विक्रय किये गये हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध भूमि रूपान्तरण आदेश के अनुसार केशव सिंह व सियाराम को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि का रूपान्तरण किया जा चुका है। हम यह भी पाते हैं कि स्वयं वादी/अपीलाण्ट द्वारा भी अपने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी में से अधिकांश भाग अवाप्त किया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा वादी/अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के प्रावधानो के अनुसार खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2010 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर